

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 21/2021

सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रभु पुत्र काना निवासी ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर
2. पारसी पत्नि भैरू निवासी ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर
3. अजय पुत्र भैरू निवासी ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर
4. बाबूलाल पुत्र भैरू निवासी ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर
5. श्रीमती समौत्री पुत्री बूढी निवासी ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर
6. श्री श्योराम वल्द भंवरिया निवासी ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर
7. श्री जयराम वल्द भंवरिया निवासी ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :-

श्री ओम प्रकाश गुर्जर,

राजकीय अभिभाषक

—: आदेश :—

दिनांक— 10.04.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.01.2002 को ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर अवस्थित सिवायचक खसरा नम्बर 11/10/4/3 रकबा 457-12-00 बीघा में से रकबा 05-00-00 जिसके नविन खसरा नम्बर 11/16 कुल 05-00-00 बीघा अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ नियमन/आवंटन की गई थी। उक्त भूमि नियमन/आवंटन आदेश की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम तोलामाल के नामान्तकरण संख्या 371 दिनांक 02.02.2002 रकबा 05-00-00 बीघा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदार दर्ज किया गया। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के पत्र क्रमांक/कअ/राजस्व/2021/4756 दिनांक 15.04.2021 के क्रम में एवं उप सचिव अरबन विकास एवं हाउसिंग (ग्रुप-III) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक F-10 (5)JDH 81 जयपुर दिनांक 24.10.1981 की पालना में ग्राम तोलामाल पैराफेरी में शामिल होने के बाद गैर-खातेदारी के आवंटन/नियमन नियम राज0 भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। अतः ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ की सिवायचक खसरा नम्बर 11/10/4/3 रकबा 05-00-00 बीघा में अप्रार्थी के पूर्वजों के हक में किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।



152
जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर। पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर एकपक्षीय सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.01.2002 को ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर अवस्थित सिवायचक खसरा नम्बर 11/10/4/3 रकबा 457-12-00 बीघा में से रकबा 05-00-00 जिसके नविन खसरा नम्बर 11/16 कुल 05-00-00 बीघा अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ नियमन/आवंटन की गई थी। उक्त भूमि नियमन/आवंटन आदेश की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम तोलामाल के नामान्तकरण संख्या 371 दिनांक 02.02.2002 रकबा 05-00-00 बीघा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदार दर्ज किया गया। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के पत्र क्रमांक/कअ/राजस्व/2021/4756 दिनांक 15.04.2021 के क्रम में एवं उप सचिव अरबन विकास एवं हाउसिंग (ग्रुप-III) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक F-10 (5)JDH 81 जयपुर दिनांक 24.10.1981 की पालना में ग्राम तोलामाल पैराफेरी में शामिल होने के बाद गैर-खातेदारी के आवंटन/नियमन नियम राज0 भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। अतः ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ की सिवायचक खसरा नम्बर 11/10/4/3 रकबा 05-00-00 बीघा में अप्रार्थी के पूर्वजो के हम में किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान करे। अतः ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ की सिवायचक खसरा नम्बर 11/10/4/3 कुल रकबा 457-12-00 बीघा में से रकबा 05-00-00 बीघा में अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान करे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.01.2002 को ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर अवस्थित सिवायचक खसरा नम्बर 11/10/4/3 रकबा 457-12-00 बीघा में से रकबा 05-00-00 जिसके नविन खसरा नम्बर 11/16 कुल 05-00-00 बीघा अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ नियमन/आवंटन की गई थी। उक्त भूमि नियमन/आवंटन आदेश की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम तोलामाल के नामान्तकरण संख्या 371 दिनांक 02.02.2002 रकबा 05-00-00 बीघा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदार दर्ज किया गया। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के पत्र क्रमांक/कअ/राजस्व/2021/4756 दिनांक 15.04.2021 के क्रम में एवं उप सचिव अरबन विकास एवं हाउसिंग (ग्रुप-III) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक F-10 (5)JDH 81 जयपुर दिनांक 24.10.1981 की पालना में ग्राम तोलामाल पैराफेरी में शामिल होने के बाद गैर-खातेदारी के आवंटन/नियमन नियम राज0 भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत निरस्तीकरण हेतु तहसीलदार किशनगढ द्वारा निवेदन किया गया है। अतः ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर अवस्थित सिवायचक खसरा नम्बर 11/10/4/3 रकबा 457-12-00 बीघा में से रकबा 05-00-00 बीघा में अप्रार्थी को किया गया आवंटन प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर सिवायचक खसरा नम्बर ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर अवस्थित सिवायचक खसरा नम्बर 11/10/4/3 रकबा 457-12-00 बीघा में से रकबा 05-00-00 बीघा में अप्रार्थी को किया गया



जिला कलक्टर
अजमेर

आवंटन प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ की सिवायचक खसरा नम्बर 11/10/4/3 रकबा 457-12-00 बीघा में से रकबा 05-00-00 बीघा भूमि का अप्रार्थी के पूर्वजो के हक में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तत्काल नामान्तरण दर्ज कर राजहित में कब्जा प्राप्त करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)

जिला कलक्टर, अजमेर

